रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229522 SG-DL-E-10092021-229522

### असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2021/भाद्र 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 165
No. 258]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2021/BHADRA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 165

#### भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# भूमि एवं भवन विभाग (योजना शाखा) अधिसूचना

दिल्ली, 9 सितम्बर, 2021

सं. फा. 12(158)/2019/मू0 एवं म0/योजना/2447.—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 फरवरी 1969 की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67—यूडी के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित क्षेत्र को 'विकास क्षेत्र' घोषित करते हैं:—

# अनुसूची

क्रम	विकास	अंचल	विवरण के साथ हैक्टेयर/एकड़ में क्षेत्र
संख्या	क्षेत्र संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		अंचल के— I के क्षेत्र	खंड (i) से (xi) में उल्लिखित निम्निलिखित क्षेत्र को छोड़कर, नीचे दिये गये 5 गाँवों की सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, अर्थात :—
			(i) हरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि / गाँव (ii) निर्मित आबादी क्षेत्र

5006 DG/2021 (1)

(iii) गाँवों की अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा आबादी
(iv) अधिग्रहण की कार्यवाहियों के अंतर्गत भूमि
(v) सरकार द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक विनियमन हेतु प्रस्तावित अनाधिकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि।
(vi) ऐसी भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने योजना / विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया है अथवा जहां अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक विकास के लिए योजना अनुमोदित की गई है।
(vii) अधिसूचित वन—क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि।
(viii) ग्राम सभा की भूमि राजस्व विभाग को स्थानांतरित।
(ix) केंद्रीय सरकार एवं अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित प्रयोग सहित)
(x) सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऐसी भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11ए के अंतर्गत भूमि—उपयोग परिवर्तन प्रक्रियाधीन है; एवं
(xi) पूर्ववर्ती संस्थान जो विनियमन हेतु विचाराधीन हैं।

# गाँवों की सूची :-

योजना अंचल क्रम संख्या		लैंड पूलिंग के अंतर्गत गाँवों के नाम
(1)	(2)	(3)
अंचल के— <b> </b>	1.	छावला (अंचल एल का भाग)
	2.	दिचाऊं कलां (अंचल एल का भाग)
	3.	दिनदारपुर (अंचल एल का भाग)
	4.	नजफगढ़ (अंचल एल का भाग)
	5.	रोशनपुरा (अंचल एल का भाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

ए.के. यादव, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

### LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Planning Branch)

### **NOTIFICATION**

Delhi, the 9th September, 2021

**No. F. 12(158)/2019/L&B/Plg./2447.**— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development Notification No.18011(28)/67-UD dated the 14<sup>th</sup> February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purpose of the said Act, namely:—

## **SCHEDULE**

S.	Development	Zone	Area in Hect./Acres with Description
No.	Area No.		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Area of	Area falling under the list of 5 villages given below excluding the
		Zone K-I	following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely:-
			i) Land/villages notified under green belt;
			ii) Built-up abadi areas;

•	
	iii) Notified extended laldora abadi of villages;
	iv) Land under acquisition proceedings;
	v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government as on the date of issue of this notification;
	vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC for planning/development or where the plan stands approved for development by any other government agency as on the date of issue of this notification;
	vii) Land under notified forests;
	viii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department;
	ix) Central Government and other Government land (including use undetermined);
	x) Land under any other scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on date of issue of this notification; and
	xi) Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

## List of Villages:

Planning Zone	Sl.No.	Name of Villages under Land Pooling
(1)	(2)	(3)
Zone K-I	1.	Chhawla (Part in Zone L)
	2.	Dichaon Kalan (Part in Zone L)
	3.	Dindarpur (Part in Zone L)
	4.	Najafgarh (Part in Zone L)
	5.	Roshanpura (Part in Zone L)

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A.K. YADAV, Dy. Secy. (L&B)